# अमन समीर, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2021 को सम्पन्न जिला राजस्व समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।

---

उपस्थिति : यथा पंजी के अनुसार ।

**कार्यवाही**

बैठक में निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गए–

(1) धार्मिक न्यास पर्षद से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलान्तर्गत धार्मिक संरचनाओं एवं उसकी संपत्तियों की जाँच कर प्रतिवेदन भेजा जाना है। इस प्रकार की कुल 70 धार्मिक संरचनाएँ की सूची सभी अंचल अधिकारी को कई माह पूर्व ही भेजा जा चुका है। अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि उक्त का शीघ्र सत्यापन कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव इसका अनुश्रवण करेंगे। बक्सर मठिया के जमीन से एक सप्ताह के अन्दर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अंचल अधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को इस कार्य का अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया।

**(अनु0 सभी अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी)**

(2) बैठक में बताया गया कि सरकारी भूमि/लोक भूमि के अतिक्रमण के संबंध में विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन की मांग की गई थी, परन्तु मात्र सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को निदेशित किया गया कि संबंधित विभागों को स्मारित कर प्रतिवेदन प्राप्त कर उपस्थापित करेंगे। बैठक में बताया गया कि बक्सर नगर परिषद को पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से किये गये निरीक्षण के समय आवश्यक निदेश दिया गया था, जिसमें सरकारी भूमि का अतिक्रमणमुक्ति, अवैध संरचनाओं को हटाये जाने, नगर परिषद द्वारा सरकारी भूमि के बंदोबस्ती आदि के मामले है। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये निदेशों का अनुपालन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। मुख्य शहर में कई जगह अतिक्रमण है। इसके अतिरिक्त अतिथिगृह के मोड़ के पास भी अतिक्रमण है, जिसे अब तक हटाया नहीं गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर को निदेशित किया गया कि अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निदेशों का अवलोकन कर अनुश्रवण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। अंचल अधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि न्यायिक आवसीय परिसर के आस–पास अवैध अतिक्रमणों को 15 दिनों अन्दर हटाना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर अपने स्तर से इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

**(अनु0 सभी अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा)**

3 **ऑनलाईन दाखिल–खारिज**–ऑनलाईन दाखिल–खारिज मामलों से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :–

| क्र0 | अंचल का नाम | दाखिल खारिज हेतु कुल आवेदनों की संख्या | निष्पादित आवेदनों की संख्या | लंबित आवेदनों की संख्या | अस्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्रह्मपुर | 6663 | 3213 | 938 | 2512 | |
| 2 | बक्सर | 19223 | 11917 | 1604 | 5702 | |
| 3 | चक्की | 858 | 316 | 219 | 323 | |
| 4 | चौगाई | 1622 | 720 | 94 | 808 | |
| 5 | चौसा | 4289 | 2884 | 253 | 1152 | |
| 6 | डुमरॉव | 13015 | 7528 | 528 | 4959 | |
| 7 | इटाढ़ी | 5397 | 2989 | 949 | 1459 | |
| 8 | केसठ | 1289 | 842 | 72 | 375 | |
| 9 | नावानगर | 8344 | 4507 | 446 | 3391 | |
| 10 | राजपुर | 8756 | 4835 | 394 | 3527 | |
| 11 | सिमरी | 6797 | 3801 | 485 | 2511 | |
| | **कुल** | **76253** | **43552** | **5982** | **26719** | |

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बक्सर जिलान्तर्गत कुल 5982 आवेदन दाखिल–खारिज के लम्बित है। इनमें ब्रह्मपुर प्रखण्ड के 938, बक्सर का 1604, इटाढ़ी का 949 एवं डुमरांव का 528 लम्बित आवेदन सम्मिलित है। इटाढ़ी जैसे औसतन छोटे अंचल में लम्बित आवेदनों के कारण की पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी, इटाढ़ी द्वारा बताया गया कि सभी खाता–खेसरा ऑन लाईन नहीं होने के कारण प्राप्त आवेदनों पर आपत्ति लगाया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर को निदेशित किया गया कि सभी खाता–खेसरा का ऑनलाईन नहीं होने के कारणों की जाँच कर अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने कार्यालय में मासिक आधार पर आवेदन एवं निष्पादित आवेदनों का प्रतिवेदन तैयार करायेंगे तथा जिला राजस्व शाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगे। दाखिल–खारिज आवेदनों का अधिकतम 60 दिनों के अन्दर निष्पादन होना है। सभी अंचल अधिकारी को इसका अनुपालन करने तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि दाखिल–खारिज से संबंधित मामलों में अधिकतम दो तिथियों में ही सुनवाई करते हुए निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर एवं डुमरॉव)